भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

दिनांक : 29.12.2023

परिपत्र/Circular

Subject : प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित बीआईएस ग्रुप ए (गैर-वैज्ञानिक), बी एंड सी कर्मचारियों के लिए बाहरी पदों के लिए आवेदन करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश

Comprehensive Guidelines for Applying for Outside Posts for BIS Group A (Non-Scientific), B&C employees including Laboratory Technical Officials

इस विषय पर पहले के सभी आदेशों के अधिक्रमण में, डीजी, बीआईएस द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित बीआईएस ग्रुप ए (गैर-वैज्ञानिक), बी और सी कर्मचारियों के लिए बाहरी पदों के लिए आवेदन करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए संलग्न हैं।

In supersession of all earlier orders on the subject, the comprehensive guidelines for applying for outside posts for BIS Group A (Non-Scientific), B & C employees including Laboratory Technical Officials as approved by DG, BIS is enclosed for information of all concerned.

शोएब अख्तर

(शोएब अख्तर)
निदेशक (स्थापना)

संदर्भ: स्था/043/19/2023

परिचालित : बीआईएस इंट्रानेट के माध्यम से मुख्यालय/आरओ/बीओ/लैब और एनआईटीएस के सभी विभाग

<u>COMPREHENSIVE GUIDELINES ON FORWARDING OF APPLICATIONS FOR OUTSIDE POSTS FOR GROUP A (Non-Scientific), B & C EMPLOYEES INCLUDING LABORATORY TECHNICAL OFFICIALS</u>

1. Applying for Posts in Central Government / Autonomous Bodies or Subordinate Offices/ State Governments / Public Sector Undertakings owned Wholly or Partly by the Central Government or a State Government/ Quasi- Government Organizations

1.1 Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials could be given four opportunities in a year to apply for outside posts in Central Government / Autonomous Bodies or Subordinate Offices/ State Governments / Public Sector Undertakings owned Wholly or Partly by the Central Government or a State Government or Quasi-Government Organizations, except where withholding of any application is considered by the Competent Authority (DG in case of Group A (Non-Scientific), DDGA for Group B & C employees including Laboratory Technical officials) to be justified in the public interest.

1.2 Applications of Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be readily forwarded except in very rare cases where there may be compelling grounds of public interest for withholding such application.

1.3 Applying for outside posts during first two years of service, i.e. during probation period, is not permissible. If a Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials applies for outside posts as a private person without proper channel and in the event of being selected for outside post, he shall have to resign and shall not be entitled for any benefits.

1.4 Applications from Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials for employment elsewhere, submitted otherwise than in response to advertisement or circulars inviting applications, would not be forwarded.

1.5 Applications from Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials who have not been granted vigilance/ disciplinary (administrative) clearance under provision of (4) below would not be forwarded.

1.6 Applications of Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials for posts in autonomous bodies or Public Sector Undertakings owned wholly or partly by the Central Government or a State Government or Quasi-Government Organizations may be forwarded with a clear understanding with the employee that in the event of their selection for the post applied for, they will sever their connections with the Bureau before joining and no lien shall be retained in such cases.

2. Applying for Posts Advertised by Union Public Service Commission (UPSC)/ Staff Selection Commission (SSC)/ State PSCs

2.1 Where Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials apply directly to UPSC/SSC or State PSC, as in the case of direct recruit, they must immediately/ but not later than 5 working days inform Establishment Department giving details of the examination/post for which they have applied.

2.2 The number of such applications is not to be counted against the permissible number of four opportunities in a year as covered in (1.1) above.

2.3 In case provisions of (4) below are attracted or if withholding of application is considered by the Competent Authority (DG in case of Group A (Non-Scientific) and DDGA for Group B & C employees including Laboratory Technical officials) to be justified in the public interest, then the same would be communicated to the Commission directly by the Bureau with a copy to the concerned employee. Otherwise, the information of application would be noted by Establishment Department.

3. Applying for a Post in a Private Concern

Applying for outside posts during first two years of service, i.e. during probation period, is not permissible. If a Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials applies for outside posts as a private person without proper channel and in the event of being selected for outside post, he shall have to resign and shall not be entitled for any benefits.

4. Vigilance/ Administrative Clearance for Forwarding of Application

4.1 Application of a Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials for appointment, whether by direct recruitment, transfer on deputation or transfer, to any other post should not be considered / forwarded If-

(i) he/she is under suspension; or

(ii) disciplinary proceedings are pending against him/her and a charge sheet has been issued; or

(iii) sanction for prosecution, where necessary has been accorded by the competent authority; or

(iv) where a prosecution sanction is not necessary, a charge-sheet has been filed in a Court of law against him for criminal prosecution.

(v) where he is undergoing a penalty – no application should be forwarded during the currency of such penalty.

4.2 When the conduct of a Group A (Non-scientific), B & C employees including Laboratory Technical officials is under investigation (by the CBI or by the Controlling Department) but the investigation has not reached the stage of issue of charge-sheet or prosecution sanction or filing of charge-sheet for criminal prosecution in a court, the application of the officer may be forwarded together with brief comments on the nature of allegations and it should also be made clear that in the event of actual selection of the officer, he/she would not be released for taking up the appointment, if by that time any of the situations in (4.1) above arises.

5. Authority to forward applications for Outside Post

DG is the Competent Authority for all Group A (Non-Scientific) employees. However, for Group B and Group C including laboratory Technical officials, power has been delegated to DDGA.

6. Timeline for submission of application for Outside Post

The application for outside post received from Group A (Non- Scientific), B& C officials including Laboratory Technical officials should be submitted through respective HoDs and should reach Establishment Department atleast 15 days before the last date of submission. Application received less than stipulated days shall not be processed and shall be returned back to the applicant.

xxxxx

<u>प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह ए (गैर-वैज्ञानिक), बी और सी कर्मचारियों के लिए बाहरी पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करने पर व्यापक दिशानिर्देश</u>

1. **केंद्र सरकार/स्वायत्त निकायों या अधीनस्थ कार्यालयों/राज्य सरकारों/केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी संगठनों में पदों के लिए आवेदन करना।**

1.1. प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों को केन्द्र सरकार/स्वायत्त निकायों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनका स्वामित्व पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी संगठनों के पास है, में बाहरी पदों के लिए आवेदन करने के लिए एक वर्ष में चार अवसर दिए जा सकते हैं, सिवाय इसके कि किसी भी आवेदन पर सार्वजनिक हित में उचित ठहराते हुए रोकने पर सक्षम प्राधिकारी (समूह ए (गैर-वैज्ञानिक) के मामले में महानिदेशक एवं प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह बी और सी के कर्मचारियों के लिए डीडीजीए) द्वारा विचार किया जाए।

1.2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों के आवेदन से संबन्धित कुछ दुर्लभ मामलें जहाँ ऐसे आवेदन को रोकने के लिए सार्वजनिक हित के बाध्यकारी आधार हो सकते हैं, को छोड़ कर तुरंत अग्रेषित किए जाने चाहिए।

1.3. सेवा के पहले दो वर्षों के दौरान, यानी परिवीक्षा अवधि के दौरान बाहरी पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। यदि समूह क (गैर-वैज्ञानिक), प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित ख और ग कर्मचारी उचित माध्यम के बिना व्यक्तिगत रूप से बाहरी पदों के लिए आवेदन करते हैं और बाहरी पद के लिए चुने जाने की स्थिति में, उन्हें इस्तीफा देना होगा और वे किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होंगे।

1.4. प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों से अन्यत्र रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन या परिपत्रों के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों को अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

1.5. प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों के आवेदन, जिन्हें नीचे (4) के प्रावधान के तहत सतर्कता/अनुशासनात्मक (प्रशासनिक) मंजूरी प्रदान नहीं की गई है, को अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

1.6. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी संगठनों के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाले स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पदों के लिए प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों के आवेदन कर्मचारी के साथ एक स्पष्ट समझ के साथ अग्रेषित

किए जा सकते हैं कि पद पर चयन की स्थिति में, वे शामिल होने से पहले ब्यूरो से पूर्ण रूप से कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे मामलों में कोई ग्रहणाधिकार (लीन) नहीं रखा जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)/कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)/राज्य पीएससी द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करना

2.1. जहां प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग के कर्मचारी सीधे यूपीएससी/एसएससी या राज्य पीएससी को आवेदन करते हैं, जैसा कि सीधी भर्ती के मामले में होता है, उन्हें तुरंत/ 5 कार्य दिवसों के भीतर स्थापना विभाग को उस परीक्षा/पद का विवरण देते हुए सूचित करना होगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है।

2.2. ऐसे आवेदनों की संख्या को एक वर्ष में चार अवसरों की अनुमेय संख्या जैसा कि ऊपर (1.1) में वर्णन किया गया है, के विरुद्ध नहीं गिना जाएगा ।

2.3. यदि नीचे (4) के प्रावधान लागू होते हैं या यदि सक्षम प्राधिकारी (समूह क (गैर-वैज्ञानिक) के मामले में महानिदेशक और प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह ख और ग के कर्मचारियों के लिए डीडीजीए) द्वारा आवेदन रोके जाने को जनहित में उचित माना जाता है, तो इसकी सूचना ब्यूरो द्वारा संबंधित कर्मचारी को एक प्रति के साथ सीधे आयोग को दी जाएगी। अन्यथा, आवेदन की जानकारी स्थापना विभाग द्वारा नोट की जाएगी।

3. व्यक्तिगत रूप से किसी पद के लिए आवेदन करना

3.1. सेवा के पहले दो वर्षों के दौरान, यानी परिवीक्षा अवधि के दौरान बाहरी पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। यदि समूह ए (गैर-वैज्ञानिक), प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित बी और सी कर्मचारी उचित माध्यम के बिना व्यक्तिगत रूप से बाहरी पदों के लिए आवेदन करते हैं और बाहरी पद के लिए चुने जाने की स्थिति में, उन्हें इस्तीफा देना होगा और वे किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

4. आवेदन अग्रेषित करने के लिए सतर्कता/प्रशासनिक मंजूरी

4.1. नियुक्ति के लिए प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (गैर-वैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों के किसी अन्य पद पर आवेदन, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा/ अग्रेषित नहीं किया जाएगा यदि-

(i) वह निलंबित है; या

(ii) उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है और आरोप पत्र जारी किया गया है; या

(iii) अभियोजन के लिए मंजूरी, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई है; या

(iv) जहां अभियोजन की मंजूरी आवश्यक नहीं है, वहां उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है।

(v) जहां वह दंड भुगत रहा है - ऐसे दंड की अवधि के दौरान कोई भी आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए।

4.2. जब प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह क (अवैज्ञानिक), ख और ग कर्मचारियों के आचरण की जांच की जा रही हो (सीबीआई द्वारा या नियंत्रण विभाग द्वारा) लेकिन जांच आरोप-पत्र जारी करने या अभियोजन स्वीकृति या अदालत में आपराधिक अभियोजन के लिए आरोप-पत्र दाखिल करने के चरण तक नहीं पहुंची है, तो अधिकारी के आवेदन को आरोपों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ अग्रेषित किया जा सकता है और इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। कि अधिकारी के वास्तविक चयन की स्थिति में, उसे नियुक्ति लेने के लिए उसे अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उस समय तक उपरोक्त (4.1) में से कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है।

5. बाहरी पद के लिए आवेदन अग्रेषित करने का प्राधिकार

महानिदेशक सभी ग्रुप क (गैर-वैज्ञानिक) कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी है। हालाँकि, प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित समूह ख और समूह ग के लिए शक्ति डीडीजीए को सौंपी गई है।

6. बाहरी पद के लिए आवेदन जमा करने की समय-सीमा

समूह क (गैर-वैज्ञानिक), प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारियों सहित ख और ग अधिकारियों से प्राप्त बाहरी पद के लिए आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 15 दिन पहले स्थापना विभाग में पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित दिनों के बाद प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसे आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा।

नोट : यदि इस परिपत्र के किसी भी संस्करण में खंडों की व्याख्या के कारण कोई संशय उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXX